न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 46/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/54

| | | |
|---|---|---|
| | | अभियुक्त :– |
| राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज) | बनाम | श्री मनोज गुर्जर पुत्र श्री चुन्नीलाल गुर्जर निवासी निचला घण्टाला, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स देवनारायण दुध डेयरी, त्रिपुरा कोलोनी, ठीकरीया, बांसवाडा, जिला बांसवाडा |

## अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

## निर्णय

दिनांक 17.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 15–06–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11–03–2023 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स देवनारायण दुध डेयरी, त्रिपुरा कोलोनी, ठीकरीया, बांसवाडा, जिला बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मनोज गुर्जर पुत्र श्री चुन्नीलाल गुर्जर उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स देवनारायण दुध डेयरी, त्रिपुरा कोलोनी, ठीकरीया, बांसवाडा, जिला बांसवाडा का निरीक्षण करने पर दुकान में मिक्स मिल्क (लूज) लगभग 50 लीटर डीप फ्रिज में दो एल्युमिनियम की केन (प्रत्येक में 25–25 लीटर) में रखा पाया। इसमें गुणवत्ता की कमी/ मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए मिक्स मिल्क (लूज) 2 लीटर मिलाकर एक मेल कर/ मूल एक साफ सुखे व खाली स्टील की भगोनी में तुलवाकर/ नपवाकर वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 80/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद [illegible] विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमु[illegible] मिल्क (लूज) 2 लीटर को 4 साफ सुखे एवं खाली बोत[illegible] भरकर [illegible] बोतल में प्रिजर्वेटीव फॉर्मेलीन की 40–40 बुन्दे डालकर [illegible]टाईड ढक्कन बंद [illegible] चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1332** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे एवं सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/228 दिनांक 04-04-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 308 दिनांक 22-03-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स मिल्क (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1332** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **मिक्स मिल्क (लूज)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19-06-2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 17-07-2023 को अप्रार्थी की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/228 दिनांक 04-04-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 308 दिनांक 22-03-2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **मिक्स मिल्क (लूज)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1332** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **मिक्स मिल्क (लूज)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री मनोज गुर्जर पुत्र श्री चुन्नीलाल गुर्जर निवासी निचला घण्टाला, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स देवनारायण दुध डेयरी, त्रिपुरा कोलोनी, ठीकरीया, बांसवाडा, जिला बांसवाडा को रूपये 20000/– (अक्षरे रू बी हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner